



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241077  
CG-DL-E-14122022-241077

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944

No. 655]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

**मिसिल सं 2-11/2021-BERH/NCH/11050.**—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की उप-धारा (1) और खंड (य च), (य छ), (य ज), (य झ) और (य ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 55 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 में उनके सिवाय जो कि अधिक्रमण से पहले रखी अथवा या छोड़ी गई हैं द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

**अध्याय-1**

**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(आ) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" का तात्पर्य एक ऐसा मिशन है जो एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थिति की तंत्र बनाने का प्रयास कर एक कुशल, सुलभ, समावेशी, वहन योग्य, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है, यह आंकड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सूचना और बुनियादी ढांचा,

विधिवत खुला उपयोग, अंतर-प्रचालनीय, मानक आधारित डिजिटल प्रणाली और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और एकांतता सुनिश्चित करता है।

(इ) "होम्योपैथी साभ्यासी" में शामिल है, होम्योपैथी चिकित्सा साभ्यासी, होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त चिकित्सक, होम्योपैथी के चिकित्सक शामिल हैं, जो इस समय होम्योपैथी के लिए किसी भी राज्य पंजीका या केंद्रीय पंजीका या होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकृत हैं;

(ई) "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा है;

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो कि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

3. **घोषणा और शपथ** - पंजीकरण के समय, प्रत्येक आवेदक को परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के पंजीयक (रजिस्ट्रार) को आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा और शपथ प्रस्तुत करनी होगी।

## अध्याय -II

### सामान्य सिद्धांत

4. **होम्योपैथी साभ्यासी का चरित्र** - (1) चिकित्सा वृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण आदर के साथ मानवता की सेवा करना है और इसमें वित्तीय एक लाभ गौण विचार है।

(2) जो कोई भी चिकित्सा वृत्ति अपनाता है वह अपने आपको इसके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने के लिए आबद्ध करता है। वह पूर्णतः शिक्षित व्यक्ति होगा अथवा होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड दोनों में पंजीकृत होगा। वह अपने चरित्र को शुद्ध रखेगा/गी और बीमारों की देखभाल तत्परतापूर्वक करेगा। वह विनीत, सरल सहनशील तथा तत्पर रहेगा। वह कर्तव्यनिष्ठ होगा और अपनी वृत्ति में और अपने जीवन के सभी कार्यों में औचित्यपूर्ण आचरण करेगा/गी।

5. **चरित्र और नैतिकता के मानक**-(1) चिकित्सा व्यवसाय प्रत्येक होम्योपैथी साभ्यासी से उच्चतम स्तर के चरित्र और नैतिकता की तथा व्यवसाय व कर्तव्य के स्तर को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। होम्योपैथी साभ्यासी होने के नाते वह सभी मामलों में संयम से कार्य करे, क्योंकि चिकित्सा के अभ्यास में एक स्पष्ट और सशक्त के निरंतर उपयोग की आवश्यकता होगी है।

(2) होम्योपैथी का एक चिकित्सक मानवता को सेवाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ अपने पेशे की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेगा और पुरस्कार और वित्तीय लाभ गौण होंगे।

6. **होम्योपैथी साभ्यासी की उत्तरदायित्व** - होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा के लिये उसके पास आये रोगियों का विश्वास अर्जित करेगा और प्रत्येक की पूरी सेवा करेगा और ध्यान रखेगा। चिकित्सा व्यवसाय के मान्य आदर्शों के अनुसार व्यवसायी का उत्तरदायित्व न केवल व्यक्तियों अपितु समस्त समाज के प्रति होगा। अतः चिकित्सक को अपने ज्ञान एवं कौशल में लगातार सुधार करते रहना चाहिए और ऐसे ज्ञान का लाभ रोगियों और सहकर्मियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

7. **नुस्खा प्रलेखन और चिकित्सा प्रमाण पत्र** - (1) होम्योपैथी चिकित्सक रोगी को बहत्तर घंटे के भीतर उस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर या आवश्यक होने पर नुस्खा प्रदान करेगा। और मांगे जाने पर रोगी को चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। वह कम से कम तीन वर्षों तक रिकॉर्ड के लिए में चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति रखेगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप इन विनियमों के परिशिष्ट-III के प्रारूप के अनुसार होगा।

(2) होम्योपैथी का चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार अपने क्लिनिक में प्रत्येक नुस्खे पर पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, या वह मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, सदस्यता, सम्मान, अपने नाम के पीछे प्रदर्शित करेगा/गी।

(3) होम्योपैथी चिकित्सक जिसकी अर्हता होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी या तीसरी अनुसूची में या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की मान्यता प्राप्त अर्हता की सूची में शामिल हो, अपने नाम के पहले उपसर्ग के रूप में "डॉ०" लगा सकता है।

8. **विज्ञापन-**(1) होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा, तख्तियों द्वारा या सर्कुलर कार्ड या हैंडबिल के वितरण द्वारा रोगियों की याचना करना अनैतिक होगा।

(2) होम्योपैथी का चिकित्सक किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार के माध्यम से अपने नाम, हस्ताक्षर के विषय के रूप में उपयोग नहीं करेगा, या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जो इस प्रकार का हो जो उस पर या उसकी व्यावसायिक स्थितियों कौशल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए या जैसा कि सामान्यतः होता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्म-उन्नति होती है।

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी निम्नलिखित मामलों में मीडिया में औपचारिक घोषणा कर सकता है, अर्थात्:

- (i) अपना साभ्यास प्रारंभ करना;
- (ii) पते में परिवर्तन;
- (iii) कार्य से अस्थायी अनुपस्थिति;
- (iv) चिकित्सा व्यवसाय पुनः प्रारंभ करना;
- (v) किसी अन्य व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसाय का उत्तरवर्ती होना;
- (vi) किसी भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण।

(3) होम्योपैथी का चिकित्सक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य सूची या निर्माण फर्मों या व्यापारियों की प्रचार सामग्री के माध्यम से स्वयं को विज्ञापित नहीं करेगा जिनके साथ वह किसी भी क्षमता में जुड़ा हो सकता है, नहीं वह रोगियों से प्राप्त किसी केस, ऑपरेशन या धन्यवाद पत्रों को गैर-व्यवसायिक समाचार पत्रों या जर्नल में प्रकाशित करेगा।

परन्तु उसे विवरण-पत्रिका या निर्देशिका, तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के संबंध में अपना नाम प्रकाशित करने की अनुमति होगी।

(4) होम्योपैथी चिकित्सक को विभिन्न - ई- प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक दावों का पालन या प्रचार या अभ्यास करने और ऐसे अनैतिक दावों के अनुसार नुस्खे का उपयोग करने जो प्रक्रिया की प्रतिष्ठा को खराब करने की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु इन विनियमों में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता के मामलों में अपने नाम के तहत मीडिया में डालने के लिए लिखता/ती है या बिना किसी विशिष्ट उपचार या नुस्खे का सुझाव दिए कभी-कभी सार्वजनिक व्याख्यान देता है, स्वास्थ्य या स्वच्छता से संबंधित टेलीविजन या रेडियो पर वार्ता करता है।

(5) परन्तु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म होम्योपैथी साभ्यासी द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सेवाओं की खोज करने में सक्षम बनाना इस विनियम के उद्देश्य के लिए रोगियों की याचना नहीं माना जाएगा।

9. **व्यवसायिक सेवा-** (1) अभ्यास में लगे होम्योपैथी चिकित्सक ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से उस समय रोगी को सूचित करेंगे, जब चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है।

(2) होम्योपैथी साभ्यासी के विवेक पर शुल्क कम किया जा सकता है और वह सदैव गरीबी को सेवाओं के लिए वैध दावों को प्रस्तुत करने के रूप में स्वीकार करेगा;

(3) "फायदा नहीं, भुगतान नहीं" का अनुबंध करना अनैतिक होगा।

### अध्याय-III

#### होम्योपैथी चिकित्सकों के अपने रोगियों के प्रतिकर्तव्य

10. **रोगियों के लिए दायित्व** - अत्यावश्यकता के दौरान, होम्योपैथी चिकित्सक, मानवता और व्यसाय की महान परंपराओं के लिए, न केवल रोगी और घायलों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा, बल्कि अपने उच्च चरित्र या उसका मिशन और उत्तरदायित्व जो वह अपने व्यसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में वहन करता/करती है; अपनी विशेषज्ञता के दायरे और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, के प्रति भी सचेत रहेगा।

11. **रोगी को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए** - (1) होम्योपैथी चिकित्सक यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह किस का इलाज करेगा; परन्तु वह किसी आपात स्थिति में या जब भी उससे सेवा की अपेक्षा की जाती है या आपात स्थिति में,

होम्योपैथी चिकित्सक रोगी का इलाज करेगा, उसकी सहायता के लिए किसी भी अनुरोध के प्रति प्रतिक्रिया देगा, परन्तु वह अपनी विशेषज्ञता की सीमा के कारण इलाज से इनकार कर सकता है; और रोगी को रोगी के हित में किसी अन्य उपयुक्त चिकित्सक या स्वास्थ्य केंद्र में पास रेफर कर सकता है।

(2) एक बार रोगी को लेने के बाद, होम्योपैथी चिकित्सक रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा और न ही रोगी को उसके रिश्तेदारों या उसके जिम्मेदार मित्रों के माध्यम से पर्याप्त समय पहले, जिसमें कि वे होम्योपैथी के किसी और चिकित्सक का प्रबंध कर सकें, नोटिस दिए बिना रोगी को नहीं छोड़ेगा।

**12. लापरवाही के कार्य - (1)** कोई भी होम्योपैथी चिकित्सक जानबूझ कर लापरवाही कार्य नहीं करेगा जो उसके रोगी को आवश्यक चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दे।

(2) होम्योपैथी चिकित्सक से सेवाओं में उचित परिश्रम और कौशल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि समान योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों वाले अन्य किसी होम्योपैथी चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है।

(3) होम्योपैथी चिकित्सक के कमीशन या चूक के कार्य को उसके या उसके द्वारा अपेक्षित व्यासायिक सेवा के किसी भी गैर-होम्योपैथी के मानकों द्वारा नहीं आंका जाएगा; परन्तु उन मानकों के अनुसार आंका जाएगा जिसकी किसी होमियोपैथ से उसके प्रशिक्षण, स्थिति और अनुभव की अपेक्षा की जाती है।

(4) होम्योपैथी चिकित्सक होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार और फार्माकोपियल मानकों के अनुसार जो लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है, तैयार की गई किसी भी दवा का उपयोग करेगा और आधुनिक जांच तकनीकों सहित अन्य आवश्यक उपायों को अपनाएगा अर्थात् रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, एवं अन्य जो निदान और उपचार की अनुवर्ती क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

**13. होम्योपैथी चिकित्सक को कानून और विनियमों का अनुपालन करना होगा -**

होम्योपैथी चिकित्सक,

- अ. होम्योपैथी अभ्यास को विनियमित करने वाले कानूनों के विपरीतकार्य नहीं करेंगे;
- आ. होम्योपैथी अभ्यास को विनियमित करने वाले कानून की अवज्ञा करने में दूसरों की सहायता नहीं करेंगे;
- इ. सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन में सहायता के लिए कार्य करेंगे;
- ई. होम्योपैथी चिकित्सक, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23), औषध और प्रसाधन नियम 1945, भेषज अधिनियम, 1948 (1948 का 8), स्वापक औषध और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34), मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42), विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और निष्पादन) नियम, 1998, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29), गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) और ऐसे अन्य संबंधित अधिनियम और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित स्थानीय प्रशासनिक निकायों के समय-समय पर संशोधित नियम, के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

**14. रोगियों के प्रति व्यवहार -** होम्योपैथी चिकित्सक का अपने रोगियों के प्रति व्यवहार सदैव विनम्र, सहानुभूतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहायक होना चाहिए और प्रत्येक रोगी का सावधानी एवं ध्यान पूर्वक इलाज किया जाना चाहिए।

**15. पूर्वानुमान- (1)** होम्योपैथी चिकित्सक रोगी की स्थिति की गंभीरता को न तो बढ़ा-चढ़ाकर पेश करेगा और न ही उसे कम करेगा और वह सुनिश्चित करेगा कि रोगी, उसके रिश्तेदार या जिम्मेदार दोस्तों को रोगी की स्थिति के बारे में जो कि रोगी और या उसके परिवार के सर्वोत्तम हित में हो, जानकारी दे।

(2) गंभीर अभिव्यक्तियों के मामलों में, आवश्यक होने पर वह परिवार या रोगी के अधिकृत परिचारक और रोगी को भी समय रहते नोटिस देगा।

**16. निजता, गोपनीयता और मेडिकल रिकॉर्ड की नैतिकता (धैर्य, विनम्रता और गोपनीयता)-**

गोपनीयता, धैर्य और विनम्रता बनाए रखना होम्योपैथी चिकित्सक के दृष्टिकोण का प्रतीक या चरित्र होना चाहिए और रोगियों द्वारा किसी चिकित्सक को बताए गए व्यक्तिगत या घरेलू जीवन के बारे में विश्वास और चिकित्सा उपस्थिति के

दौरान देखे गए रोगियों के स्वभाव या चरित्र में दोषों का उसके द्वारा किसी को भी खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उनका प्रकटीकरण तत्कालीन कानूनों द्वारा आवश्यक न हो।

#### अध्याय-IV

#### होम्योपैथी चिकित्सक के व्यावसाय के प्रतिकर्तव्य

**17. व्यसाय के सम्मान को कायम रखना** – होम्योपैथी चिकित्सक, हर समय व्यसाय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेगा।

**18. मेडिकल सोसायटी की सदस्यता** – अपने व्यसाय की उन्नति के लिए, होम्योपैथी चिकित्सक मेडिकल सोसायटी से संबद्ध हो सकता है और अपनी प्रगति के लिए अपना समय, ऊर्जा और साधन का योगदान कर सकता है ताकि वह व्यसाय के आदर्शों का बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रचार कर सके।

**19. अनैतिक आचरण को उजागर करना** – होम्योपैथी के चिकित्सक को, पेशे के किसी भी सदस्य के अक्षम, भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक आचरण का, बिना किसी भय या पक्षपात के उचित प्राधिकारी के सामने उजागर करना चाहिए।

**20. अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ संबंध या कदाचार में लिप्त होना** – चिकित्सक होम्योपैथी अपंजीकृत चिकित्सकों और कदाचार में लिप्त चिकित्सकों के किसी भी व्यक्ति या समाज के साथ खुद को व्यसायिक रूप से संबद्ध नहीं रखेगा।

**21. प्रतिनिधि की नियुक्ति** – जब भी होम्योपैथी चिकित्सक किसी अन्य होम्योपैथी के चिकित्सक से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान अपने रोगियों की देखभाल करने का अनुरोध करता है, तो व्यसायिक शिष्टाचार, बाद वाले के द्वारा ऐसी नियुक्ति को स्वीकृत करने की अपेक्षा करता है, यदि यह उसके या उसके अन्य कर्तव्यों और उक्त चिकित्सक के अनुरूप हों, ऐसी नियुक्ति के तहत कार्यरत होम्योपैथी साभ्यासी, अनुपस्थित चिकित्सक के हितों और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक विचार करेगा और होम्योपैथी के रोगी या अनुपस्थित चिकित्सक से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लेगा, सिवाय उनके बीच एक विशेष व्यवस्था के मामले में और ऐसे रोगियों को होम्योपैथी के अनुपस्थित चिकित्सक के लौटने पर उनकी देखभाल में वापस कर दिया जाएगा।

**22. साथी चिकित्सक को बिना शुल्क के सेवा-** (1) होम्योपैथी का चिकित्सक अपने पेशेवर भाई और उसके आश्रितों के लिए, यदि वे उनके आस पास हैं या एक चिकित्सा विद्यार्थी के लिए मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए इसे एक खुशी और विशेषाधिकार मानते हैं और उनकी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेंगे।

(2) जब होम्योपैथी किसी चिकित्सक किसी अन्य होमियोपैथी चिकित्सक या उसके आश्रितों को उपस्थित होने या सलाह देने के लिए दूर से बुलाया जाता है, तो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

**23. आपातकालीन दौरा** - (1) होम्योपैथी साभ्यासी को आपातकालीन स्थिति में किसी अन्य होमियोपैथी चिकित्सक की देख-रेख में होने वाले किसी रोगी को देखने के लिए बुलाया जाता है, जब आपात काल समाप्त हो जाता है, तो बाद वाले के पक्ष में निवृत्त हो जाएगा; लेकिन वह अपनी सेवाओं के लिए रोगी से शुल्क लेने का हकदार होगा/होगी।

(2) जब होम्योपैथी किसी चिकित्सक से उसके अपने निवास पर परामर्श किया जाता है, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रोगी से पूछताछ करे कि क्या वह होम्योपैथी के किसी अन्य चिकित्सक से इलाज करवा रहा है।

(3) जब होम्योपैथी का कोई चिकित्सक किसी अन्य होम्योपैथी चिकित्सक के अनुरोध पर किसी रोगी की जांच करता है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह रोगी के बारे में अपनी राय बताने के साथ उपचार के तरीके को बताते हुए, जिसे उसे अपनाने की आवश्यकता है एक पत्र लिखे।

**24. प्रसूति रोगी के लिए वचनबद्धता-** (1) यदि होम्योपैथी के चिकित्सक को किसी महिला रोगी को उसकी प्रसूति के दौरान देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे ऐसा करना होगा और किसी अन्य काम में लगे होने के बहाने ऐसा करने से इनकार करना अनैतिक माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब वह पहले से ही एक समान या अन्य गंभीर मामले में लगे हुए हैं।

(2) जब होम्योपैथी चिकित्सक जो एक प्रसूति रोगी को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, अनुपस्थित होता है और दूसरे को भेजा जाता है और प्रसव पूरा हो जाता है, तो होम्योपैथी का कार्यरत चिकित्सक अपने पेशेवर शुल्क का हकदार होगा; परन्तु पहले से लगे होम्योपैथी के चिकित्सक के आने पर मरीज से वापस जाने की सहमति प्राप्त करेगा।

25. जब किसी आधिकारिक पद पर आसीन होम्योपैथी के चिकित्सक की किसी बीमारी या चोट को देखने और रिपोर्ट करने की ज़ूट्टी होती है, तो वह उपस्थित रहने वाले होम्योपैथी के चिकित्सक को सूचित करेगा ताकि उसे उपस्थित होने का विकल्प दिया जा सके और होम्योपैथी के चिकित्सक को निदान या अपनाए गए उपचार पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

### अध्याय V

#### परामर्श में होम्योपैथी चिकित्सक के कर्तव्य

26. परामर्श को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए – गंभीर बीमारी के मामलों में, विशेष रूप से संदिग्ध या कठिन परिस्थितियों में, होम्योपैथी चिकित्सक को विशेषज्ञों के परामर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे ऐसा, पेचीदा बीमारी में, चिकित्सीय गर्भपात में, आपराधिक गर्भपात कराने वाली महिला के इलाज में, विषाक्तता के संदिग्ध मामलों में, या जब रोगी या उसके प्रतिनिधि द्वारा वांछित हो, करना चाहिए।

27. रोगी को होम्योपैथी के एक अन्य चिकित्सक के पास भेजा जाना- जब होम्योपैथी के इलाज कर रहे सभ्यासी द्वारा किसी मरीज को होम्योपैथी के किसी अन्य चिकित्सक के पास रेफर किया जाता है, तो रोगी का विवरण होम्योपैथी के बाद वाले चिकित्सक को दिया जाएगा और होम्योपैथी के बाद के चिकित्सक को एक बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी राय सीधे होम्योपैथी के इलाज कर रहे चिकित्सक को देनी होगी।

28. टेली मेडिसिन द्वारा परामर्श – केंद्र या राज्य सरकार और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी टेली मेडिसिन साभ्यास दिशानिर्देशों के अनुसार होम्योपैथिक के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श की अनुमति होगी और वे अपने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म या समाधान या समय-समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं।

29. परामर्श में आचरण- (1) परामर्श में, होम्योपैथी के प्रभारी के बीच अनिष्टता, प्रतिद्वंद्विता या ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मामले के प्रभारी होम्योपैथी चिकित्सक को सभी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और कोई बयान या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए उस पर जो रोगी के विश्वास को कम करती हो और इस प्रयोजन के लिए रोगी या उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

(2) रोगी या उसके या उसके प्रतिनिधियों को मामले के सभी बयान, अन्य सभी परामर्शदाताओं की उपस्थिति में दिए जाने चाहिए, सिवाय अन्यथा सहमति के और रोगी या उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को राय की घोषणा की परिचारक द्वारा की चाहिए।

(3) विचारों में भिन्नता को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए; बशर्ते किराय में कोई न सुलझने वाला अंतर हो, परिस्थितियों को रोगी या उसके दोस्तों को स्पष्टरूप से और निष्पक्ष रूप से समझाया जाना चाहिए और रोगी के हित में यदि वे चाहें तो आगे की सलाह लेने के लिए उनके लिए सुविधा होनी चाहिए।

30. चिकित्सा उपचार के लिए सहमति: परामर्शदाता या अंतरिक रोगी विभाग (IPD) उपचार या नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए रोगी या रिश्तेदार या अभिभावक की कोई सहमति आवश्यक नहीं है और आपातकालीन स्थितियों के मामले में, रोगी या अभिभावक की सहमति प्राप्त की जाएगी और यदि कोई होम्योपैथी साभ्यासी ऐसा नहीं करता है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

परंतु आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपचार, जहां समय न हो और रोगी का जीवन दांव पर लगा हो, पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना दिया जा सकता है और सहमति को निहित माना जाएगा।

31. परामर्श के बाद उपचार - (1) इलाज कर रहे होम्योपैथी चिकित्सक यह निर्णय ले सकते हैं उपचार परिवर्तन में बाद के बदलावों की आवश्यकता हो सकती है; परंतु अगले परामर्शों में इस तरह के बदलावों के कारणों को बताया जाए।

(2) इलाज कर रहे होम्योपैथी चिकित्सक की अनुपस्थिति के दौरान किसी आपातस्थिति के लिए भेजे जाने पर सलाहकार के पास अपने दायित्वों के साथ समान विशेषाधिकार होगा;

परंतु होम्योपैथी उपचार करने वाले चिकित्सक रोगी को किसी भी समय नुस्खा दे सकते हैं, जब रोगी होम्योपैथी के चिकित्सकों से परामर्श करता है।

32. सलाहकार मामले की जिम्मेदारी नहीं लेगा – जब होम्योपैथी चिकित्सक को सबसे दुर्लभ और सबसे असाधारण परिस्थितियों में एक सलाहकार के रूप में बुलाया जाता है, तो वह मामले के प्रभारी के परामर्श का कारण बताएगा और परामर्शदाता केवल रोगी या उसके मित्र के अनुरोध पर ऐसा नहीं करेगा।

## अध्याय VI

### जनता के लिए होम्योपैथी चिकित्सकों के कर्तव्य

**33. नागरिकों के रूप में चिकित्सक**—विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सक, जहां वे रहते हैं, उस समुदाय के स्वास्थ्य के संबंध में सलाह देंगे और वे समुदाय के कानूनों को लागू करने और मानवता के हित को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्वच्छता कानूनों और विनियमों के पालन और प्रवर्तन में अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए औषधियों, विष एवं भेषज से संबंधित सभी कानूनों के प्रावधानों का पालन करेंगे।

**34. सार्वजनिक स्वास्थ्य-(1)** सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य में लगे होम्योपैथी चिकित्सक जनता को महामारी और संचारी रोग की रोकथाम के लिए संगरोध नियमों और उपायों के बारे में जानकारी देंगे और हर समय संचारी रोग के हर मामले के बारे में गठित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सूचित करेंगे जो उनकी देख-रेख के अंतर्गत हैं, स्वास्थ्य प्राधिकरणों के कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार और जब कोई महामारी फैलती है, तो होम्योपैथी चिकित्सक अपने स्वयं के स्वास्थ्य के जोखिम की परवाह किए बिना अपना श्रम जारी रखेंगे।

**35. वितरण**—होम्योपैथी चिकित्सक को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार सबसे स्वच्छ तरीके से अपने स्वयं के नुस्खे को तैयार करे और वितरण करे।

## अध्याय VII

### कदाचार

**36. वृत्तिक कदाचार-होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा किए जाने या चूकने के निम्नलिखित कार्य वृत्तिक कदाचार की श्रेणी में होंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि, वह: -**

क. इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता/करती है;

ख. होम्योपैथी के लिए आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उसे दी गई पंजीकरण संख्या को अपने क्लिनिक में प्रदर्शित करने में विफल रहता/रहती है;

ग. अपने द्वारा जारी किए गए नुस्खे और प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड को बनाए रखने में विफल रहता/रहती है;

घ. व्यभिचार का अपराध या रोगी के साथ दुर्व्यवहार करता/करती है, या रोगी के साथ अनुचित संबंध बनाए रखता/रखती है;

ङ. नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता/जाती है;

च. अपने नाम और अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रमाणपत्र, रिपोर्ट या संबंधित लोगों के चरित्र के दस्तावेज बनाता है या हस्ताक्षर करता/करती है जो असत्य, भ्रामक और अनुचित हों ;

छ. औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके तहत बनाए गए नियमों से संबंधित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता/करती है;

ज. औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिबंधित दवा या विष बेचता/बेचती हो;

झ. किसी अयोग्य व्यक्ति को गर्भपात या कोई बड़ा शल्य क्रिया करने हेतु प्रोत्साहित करता/करती हो;

ञ. अयोग्य या गैर-चिकित्सीय व्यक्ति को होम्योपैथी में अनुभव का प्रमाण पत्र जारी करता/करती हो:

परंतु इस खंड में निहित कुछ भी होम्योपैथी चिकित्सक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत डॉक्टरों, दाइयों, डिस्पेंसर, परिचारकों या कुशल यांत्रिक और तकनीकी सहायकों के वैध कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण और निर्देश को रोक या प्रतिबंधित नहीं करेगा;

ट. किसी दवा विक्रेता की दुकान पर या ऐसे स्थान पर जहां वह निवास या कार्य नहीं करता है, एक साइन बोर्ड चिपकाता/ चिपकाती है;

ठ. पीठासीन न्यायाधीश के आदेश के तहत कानून की अदालत को छोड़कर, किसी रोगी की सहमति के बिना उसके रहस्य या गोपनीय जानकारी का खुलासा करता/करती हो जो इलाज के दौरान जाना गया है;

- ड. होम्योपैथी आयोग या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता/करती हो:  
परंतु इस खंड में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों के अनुसार नैदानिक दवा परीक्षण या रोगियों या स्वयं सेवकों से जुड़े अन्यशोध करता/करती हो;
- ढ. रोगी की लिखित सहमति के बिना किसी मेडिकल या अन्य पत्रिका में पहचान के साथ रोगी की तस्वीरें या केस-रिपोर्ट प्रकाशित करता/करती हो, रोगी की पहचान के किसी भी प्रकटीकरण के बिना केवल केस रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता/सकती है।
- ण. फीस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता/करती हो:  
परंतु इस खंड में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि वह चिकित्सक परामर्श या प्रतीक्षा कक्ष में इसे प्रदर्शित करे;
- त. मरीजों को बुलाने के लिए दलालों या एजेंटों का उपयोग करता/करती हो;
- थ. आयोग द्वारा सूचीबद्ध संबंधित शाखा में विशेष योग्यता के बिना विशेषज्ञ होने का दावा करता/करती है;
- द. उस संस्थान या क्लिनिक का नाम विज्ञापित या अधिसूचित करता/करती हो जिसमें कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है या उन बीमारियों के नाम नहीं बताए जाते हैं जिनका इलाज नहीं किया जाता हो;
- ध. विज्ञापन में क्लिनिक या संस्थान चलाने वाले या रोगियों को देखने वाले डॉक्टर के नाम या तस्वीरें प्रकाशित करता/करती हो ;
- न. धर्म या जाति के आधार पर मरीजों का इलाज करने से मना करता/करती है;
- प. इन नियमों के परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाण पत्र जारी करता/करती हो, जो गलत, असत्य, भ्रामक या अनुचित हो, उसका नाम राज्य और राष्ट्रीय दोनों होम्योपैथी चिकित्सा पंजीका से हटा दिया जाएगा;
- फ. कोई अन्य आचरण करता/करती हो जो होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग के होम्योपैथी नैतिकता और विनियमन बोर्ड द्वारा कदाचार पाया गया हो;
- ब. मादक अथवा या मदिरा क दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता/जाती है जिसे पेशेवर कदाचार माना जा सकता है;
- भ. रोगियों का इलाज करता है या शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव से ऐसे कार्यों को करने में अयोग्य होने पर अन्य व्यसाय करता/करती हो ;
- म. होम्योपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करता/करती हो:  
परंतु इस खंड में निहित कुछ भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या निर्धारित किसी प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के तहत होम्योपैथी चिकित्सक के अभ्यास को नहीं रोकेगा या प्रतिबंधित किया जाएगा ।
- आगे इस विनियम के तहत वर्णित व्यवसायिक कदाचार के मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पूरी सूची नहीं बनाते हैं और होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद किसी भी तरह से किसी पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सक की ओर से किसी अन्य प्रकार के व्यवसायिक कदाचार पर विचार करने और उससे निपटने से नहीं रोकता है।
37. भेषजीय सतर्कता – होम्योपैथी चिकित्सक किसी भी होम्योपैथी भेषजी उत्पाद के प्रतिकूल असर यदि उसके द्वारा रोगी का इलाज करते समय देखा जाता है तो वह उपयुक्त अधिकारियों इसे रिपोर्ट करेगा, ।
38. होम्योपैथी चिकित्सक उचित नुस्खे और वितरण पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करेगा, अर्थात्: -
- अ. होम्योपैथी दवाओं के उपयोग पर अद्यतन ज्ञान और दिशानिर्देशों से परिचित होंगे;
- आ. उपचार की जा रही नैदानिक स्थिति के लिए आवश्यक मात्रा और अवधि के लिए ही दवाओं को लिखेंगे;
- इ. उचित नैदानिक मूल्यांकन और निदान के बाद दवाएं लिखेंगे;
- ई. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होम्योपैथी चिकित्सकों सुगम नैदानिक अभ्यास दिशानिर्देशों के अनुसार रोगियों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।



**39. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का तरीका और शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया –**

(1) जब होम्योपैथी का कोई चिकित्सक व्यावसायिक या नैतिक कदाचार का कोई कार्य करता है, तो राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड स्वतः या परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार और प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों और पहचान प्रमाण के साथ लिखित शिकायत में प्राप्त होने पर, शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने के बाद, राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद ऐसी शिकायत दर्ज करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करेगा।

परंतु शिकायत का निर्णय करने से पहले राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड होम्योपैथी चिकित्सक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(3) यदि जांच के बाद, राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड ने होम्योपैथी चिकित्सक को व्यावसायिक या नैतिक कदाचार के लिए दोषी पाया, तो यह होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक के खिलाफ अधिनियम या संबंधित राज्य अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

डॉ. पिनाकीन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, होम्योपैथी आधार और पंजीकरण बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./474/2022-23]

**परिशिष्ट-I****[विनियम देखें 3]****घोषणा और शपथ**

- (1) मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञाकरता हूँ कि मैं मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा।
- (2) यहाँ तक कि खतरे में भी, मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग मानवता के नियमों के विपरीत नहीं करूँगा।
- (3) मैं, मानव जीवन के लिए अत्यंत सम्मान बनाए रखूँगा।
- (4) मैं, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनीतिक विश्वासों या सामाजिक प्रतिष्ठा के विचारों को अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूँगा।
- (5) मैं, होम्योपैथी सिद्धांतों के अनुसार विवेक और सम्मान के साथ अपने पेशे का अभ्यास करूँगा।
- (6) मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा।
- (7) मैं, होम्योपैथी परामर्श के दौरान मुझे बताए गए रहस्यों का सम्मान करूँगा।
- (8) मैं, अपने शिक्षकों को वह सम्मान और आभार दूँगा जो उनका हक है।
- (9) मैं, अपनी शक्ति में हर तरह से चिकित्सा व्यवसाय के सम्मान और महान परंपराओं को बनाए रखूँगा।
- (10) मैं, अपने सहयोगियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार करूँगा।
- (11) मैं, इन वादों को गंभीरता से, स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान पर करता हूँ।
- (12) मैं, समय-समय पर संशोधित आचार संहिता, होम्योपैथी अभ्यास के लिए नियमों और विनियमों का पालन करूँगा।

**हैनीमैनियन शपथ**

"मेरे सम्मान पर, मैं शपथ लेता हूँ कि, मैं होम्योपैथी की शिक्षाओं का अभ्यास करूँगा, मुझसे अपेक्षा के अनुसार मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा, अपने मरीजों को न्याय दूँगा और बीमारों की सहायता करूँगा जो भी मेरे पास इलाज के लिए आएं। मास्टर हैनीमैन की शिक्षाएं मुझे प्रेरित करें और क्या मुझे बीमारों को ठीक करने के उद्देश्य से अपने मिशन को पूरा करने की शक्ति मिले।"

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

रजिस्ट्रार, होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद।

## परिशिष्ट-II

## [विनियम देखें 36(प)]

विभिन्न अधिनियमों या प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए होम्योपैथी डॉक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची।

1. विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के तहत जन्म या मृत्यु या मृतकों के निपटान का प्रमाण पत्र;
2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के तहत पागलपन और मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र।
3. शिक्षा अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र।
4. लोक स्वास्थ्य अधिनियमों के तहत प्रमाण पत्र और उसके तहत किए गए आदेश।
5. अधिनियमों के तहत प्रमाण पत्र और संक्रामक रोगों की अधिसूचना से संबंधित आदेश।
6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के तहत प्रमाण पत्र।
7. बीमा लाभ के संबंध में प्रमाण पत्र।
8. पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने या जारी करने का प्रमाण पत्र।
9. कोर्टऑफ जस्टिस/सरकारी कार्यालयों या निजी रोजगार में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए बीमारी का प्रमाण पत्र।
10. पेंशन मामलों के संबंध में प्रमाण पत्र।

## परिशिष्ट-III(a)

## (विनियम देखें 7)

## चिकित्सा प्रमाणपत्र

मैं, डॉ. .... मामले की सावधानी पूर्वक व्यक्तिगत जांच के बाद, एतद्वारा प्रमाणित करता/ती हूँ कि श्री. / श्रीमती। / कुमारी .....जिनका हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, .....से पीड़ित हैं और मैं यह मानता हूँ कि ..... की अवधि जो कि .....से प्रभावी है उसके स्वास्थ्य की पुर्नप्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है।

रोगी के हस्ताक्षर.....

दिनांक:-

.....  
पंजीकरण संख्या के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक  
के हस्ताक्षर और मोहर/सील

## परिशिष्ट-III (ख)

## स्वस्थता प्रमाण पत्र

मैं, डॉ. ....मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमती/श्री/सुश्री  
..... स्वास्थ्य की पुर्नप्राप्ति पर अब झूटी ज्वाइन करने के लिए स्वस्थ हैं।

रोगी के हस्ताक्षर.....

दिनांक:-

.....  
पंजीकरण संख्या के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक  
के हस्ताक्षर और मोहर/सील

**परिशिष्ट-IV**  
**शिकायत के लिए निर्धारित प्रपत्र**  
**(विनियम देखें 39)**

1. शिकायतकर्ता का विवरण:
  - अ. नाम
  - आ. पता:
  - इ. योग्यता:
  - ई. फोन नंबर:
  - उ. ईमेल आईडी:
  - ऊ. पहचान पत्र विवरण:
2. होम्योपैथी के उस चिकित्सक का विवरण जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा रही है :
  - अ. नाम:
  - आ. पता :(i) वर्तमान:  
(ii) स्थायी:
  - इ. योग्यता:
  - ई. फोन नंबर, यदि कोई हो:
  - उ. ईमेल आईडी, यदि कोई हो:
  - ऊ. उस राज्य चिकित्सा परिषद का विवरण जहां होम्योपैथी का उक्त चिकित्सक पंजीकृत है:
  - ऋ. राज्य पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_
  - लृ. होम्योपैथी राष्ट्रीय रजिस्टर (NRH) या CRH में नामांकन संख्या ...
3. कथित कदाचार की तिथि एवं वर्ष:
4. क्या शिकायतकर्ता ने किसी अन्य मंच से संपर्क किया है या उपाय किया है?
5. क्या कथित कदाचार से जुड़ी कोई अदालती कार्यवाही अपनाई गई है या लंबित है?
6. दस्तावेज यदि कोई हों, जिन पर शिकायतकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है (अनुलग्नक-प्रतियां):
7. क्या आवेदक के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई गवाह है? यदि हां, तो उनका नाम और पता दें :
8. कथित कदाचार के संबंध में संक्षिप्त तथ्य :
9. शिकायत दर्ज कराने में देरी, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण :
10. कथित कदाचार के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

स्थान

नाम:

हस्ताक्षर:

संलग्नक:

(अ.)

(आ.)

(इ.)

**NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December of 2022

**F. No. 2-11/2021-BERH/NCH/11050** -In exercise of the powers conferred by clauses (u), (zd) and (ze) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

**CHAPTER I**

**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**— (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Practitioners of Homoeopathy) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, (15 of 2020);

(b) “Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)” means as the case may be is a mission which seeks to create a national digital health ecosystem that supports universal health coverage in an efficient, accessible, inclusive, affordable, timely and safe manner, that provides a wide-range of data, information and infrastructure services, duly leveraging open, interoperable, standards based digital systems, and ensures the security, confidentiality and privacy of health-related personal information.

(c) “Practitioner of Homoeopathy’ includes Medical Practitioner of Homoeopathy, registered practitioner of Homoeopathy, registered medical practitioner, practitioner, register homoeopathic practitioner, licensed practitioner, homoeopathy practitioner, who is for the time being registered in any State register or Central register or National register for Homoeopathy;

(d) “section” means a section of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

**3. Declaration and Oath** --At the time of registration, each applicant shall submit a Declaration and Oath as per the format given at Appendix-I, to the registrar of the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy concerned, duly signed by applicant.

**CHAPTER II**

**General Principles**

**4. Character of Practitioner of Homoeopathy.** – (1) The primary object of the medical profession is to render service to humanity with full respect for the dignity of Human being and financial reward is a secondary consideration.

(2) Whoever chooses the medical profession, assumes the obligation to conduct himself or herself in accordance with its ideals and shall be an upright person and qualified or registered or both with the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, and shall keep himself or herself pure in character and be diligent in caring for the sick and shall be modest, sober, patient and prompt to do his duty without anxiety and shall be pious and conduct himself or herself with propriety in his or her profession and in all the actions of his or her life.

**5. Standards of Character and Morals.** – (1) The medical profession expects highest level of character and morals and every practitioner of Homoeopathy owes to the profession and committed duty to attain such level. Being an incumbent upon a practitioner of Homoeopathy, temperate in all matters, the practice of medicine requires unremitting exercise of a clear and vigorous mind.

(2) A Practitioner of Homoeopathy shall uphold the dignity and honours of his or her profession with prime objectives of rendering services to humanity and rewards and financial gains shall be secondary.

**6. Responsibility of Practitioner of Homoeopathy.** - A practitioner of Homoeopathy shall merit the confidence of patients entrusted to his care while rendering of service and devotion. The honoured ideals of the medical profession imply the responsibilities of a practitioner extended not only to individuals but also to the entire society and therefore the practitioner should try continuously to improve his knowledge and skills; and should be available to the patient and colleagues for benefits of such knowledge.

**7. Prescription and Medical certificate.** - (1) A Practitioner of Homoeopathy shall provide the prescription to a patient within seventy two hours as requested or required by such person; and also issue Medical Certificate to the patient when so desired. He will keep a copy of the medical certificate as a record for at least three years and the format of the medical certificate shall be as per format at Appendix-III to these regulations.

(2) A Practitioner of Homoeopathy shall display the registration number in his or her clinic on every prescription, as per medical certificate, or he and she shall display as suffix to his or her name over recognized degree, diploma, membership, honour.

(3) A Practitioner of Homoeopathy, whose qualification is included in the 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973(59 of 1973) or in the list of recognized qualification of the National Commission for Homoeopathy, may use "Dr." as prefix before his or her name.

**8. Advertising.** - (1) Solicitation of patients directly or indirectly, by a practitioner of Homoeopathy either personally or by advertisement in the newspapers, by placards or by the distribution of circular cards or handbills, shall be unethical.

(2) A practitioner of Homoeopathy shall not make use of, or permit others to make use of, his or her name, signature as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him or to his professional position or skill or as would ordinarily result in his self-aggrandizement.

Provided that he or she may be permitted for formal announcement in media, about the following matters, namely:-

- (i) the starting of practice;
  - (ii) change of address;
  - (iii) temporary absence from duty;
  - (iv) resumption of practice;
  - (v) succeeding to another's practice;
  - (vi) registration on any Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platform.
- (3) A practitioner of Homeopathy shall not advertise himself or herself directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he or she may be connected in any capacity, nor shall he or she publish cases, operations or letters of thanks from patients in non-professional newspapers or journal:

Provided that he or she may be permitted to publish his or her name in connection with a prospectus or a directory or a technical expert's report.

(4) A practitioner of Homoeopathy shall not follow or promote or practice objectionable claims on various e-platforms nor use the prescription according to such unethical claims which may bring a bad reputation to the system:

Provided that nothing contained in these regulations shall apply, if he or she writes for laying in the media under his own name in matters of public health, hygiene or occasionally delivers a public lecture, gives talks on television or radio relating to health or hygiene without suggesting specific treatment or prescription.

(5) Provided further that Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platform used by a practitioner of Homeopathy in order to enable individuals to search for healthcare providers and healthcare services shall not be considered to be solicitation of patients for the purpose of this regulation.

**9. Professional service.** - (1) A practitioner of Homoeopathy engaged in the practice may receive the payment for such services and shall specifically intimate to the patient at the time, the medical service is rendered.

- (2) Fee are reducible at the discretion of the practitioner of Homoeopathy and he or she shall always recognize poverty as presenting valid claims for gratuitous services;
- (3) It shall be unethical to enter into a contract of "no cure, no payment".

### CHAPTER III

#### *Duties of Homoeopathic Practitioners to their Patients*

**10. Obligations to the sick.** –During urgency, the Practitioner of Homoeopathy shall, for the sake of humanity and the noble traditions of the profession, not only be ever ready to respond to the calls of the sick and the injured, but also be mindful of the high character of his or her mission and the responsibility he or she incurs in the discharge of his professional duties; considering scope and limitations, of his expertise.

**11. Patient not to be neglected.** - (1) A practitioner of Homoeopathy shall be free to choose whom he or she will treat; provided he or she shall respond to any request for his or her assistance in an emergency or whenever expects the service and in case of emergency, the Practitioner of Homoeopathy shall treat the patient; Provided that he or she may refuse treatment due to limitation of his or her expertise; and refer the patient to another appropriate physician or health facility in the interest of patient.

- (2) Once having undertaken a case, a practitioner of Homoeopathy shall not neglect the patient nor shall withdraw from the case without giving notice to the patient, through his or her relatives or his or her responsible friend sufficiently long in advance of his or her withdrawal to allow them time to secure another practitioner of Homoeopathy.

**12. Acts of negligence.** - (1) No practitioner of Homoeopathy shall willfully commit an act of negligence that may deprive his or her patient of necessary medical care.

- (2) A practitioner of Homoeopathy is expected to render due diligence and skill in services as would be expected from another practitioner of Homoeopathy with similar qualifications, experience and attainments.
- (3) An act of commission or omission of a practitioner of Homoeopathy shall not be judged by any non-Homoeopathic Standards of professional service expected from him or her; but by those standards as are expected from a Homoeopath of his or her training, standing and experience.
- (4) A practitioner of Homoeopathy shall use any drug prepared according to Homoeopathic principles and according to Pharmacopeial standards which is approved by the licensing authorities and adopt other necessary measures including modern investigation techniques i.e., Radiological, Pathological, and others are required for diagnosis and follow up of treatment.

**13. Practitioner of Homoeopathy to obey law and regulations.** - A practitioner of Homoeopathy, -

- (a) shall not act contrary to the laws regulating the practice of Homoeopathy;
- (b) shall not assist others to disobey the law regulating the practice of Homoeopathy;
- (c) shall act in aid of the enforcement of sanitary laws and regulations in the interest of public health;
- (d) A practitioner of Homoeopathy shall observe the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Act, 1985 (61 of 1985), the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Transplantation of Human Organs and tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), and Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, Environmental (Protection) Act 1986(29 of 1986),Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) and such other related Acts and Rules of the Central Government or the State Government or the Local Administrative bodies relating to protection and promotion of public health, as amended time to time.

**14. Behaviour towards patients.** - The demeanor of a practitioner of Homoeopathy towards his or her patients shall always be courteous, sympathetic, friendly and helpful and every patient shall be treated with attention and consideration.

**15. Prognosis.** - (1) The practitioner of Homoeopathy shall neither exaggerate, nor minimize the gravity of a patient's condition and he or she shall ensure that the patient, his or her relatives or responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and his or her family.

- (2) In cases of serious manifestations, he or she shall give timely notice to the family or authorized attendant of the patient and also to the patient, when necessary.

**16. Ethics of Privacy, Confidentiality and Medical Records (Patience, Delicacy and Secrecy).** - Maintaining confidentiality, patience and delicacy shall symbolize or characterize the attitude of a practitioner of Homoeopathy and confidences concerning individual or domestic life entrusted by patients to a practitioner and defects in the disposition or character of patients observed during the medical attendance shall not be revealed by him to anyone unless their revelation is required by the laws time being in force.

#### CHAPTER IV

##### *Duties of practitioner of Homoeopathy to the Profession*

**17. Upholding honour of profession.** - A practitioner of Homoeopathy shall, at all times, uphold the dignity and honour of the profession.

**18. Membership of Medical Society.** - For the advancement of his or her profession, a practitioner of Homoeopathy may affiliate with Medical Societies and contribute his or her time, energy and means to his or her progress so that he or she may better represent and promote the ideals of the profession.

**19. Exposing unethical conduct.** - A practitioner of Homoeopathy shall expose to appropriate authority, without fear or favor, the incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession.

**20. Association with unregistered persons or indulging in malpractice.** - A practitioner shall not associate himself or herself professionally with anybody or society of unregistered practitioners of Homoeopathy and practitioners indulging in malpractice.

**21. Appointment of substitutes.** - Whenever a practitioner of Homoeopathy requests another practitioner of Homoeopathy to attend his patients during his temporary absence from practice, then the professional courtesy requires the acceptance of such appointment by the latter, if it is consistent with his or her other duties and the said practitioner of Homoeopathy acting under such an appointment shall give the utmost consideration to the interests and reputation of the absentee practitioner and shall not charge either the patient or the absentee practitioner of Homoeopathy for his or her services, except in the case of a special arrangement between them and such patients shall be restored to the care of the absentee practitioner of Homoeopathy upon his return.

**22. Service without fees to fellow Practitioner.**- (1) A practitioner of Homoeopathy shall consider it a pleasure and privilege to render gratuitous service to his or her professional brother and his dependents if they are in their vicinity or to a medical student and shall not charge for his or her service.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is called from a distance to attend or advise another practitioner of Homoeopathy or his or her dependents, reimbursement shall be made for travelling and other incidental expenses.

**23. Emergency visit.**- (1) The practitioner of Homoeopathy called upon in an emergency to visit a patient, under the care of another practitioner of Homoeopathy shall, when the emergency is over, retire in favor of the later; but he or she shall be entitled to charge the patient for his services.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is consulted at his own residence, it is not necessary for him to enquire of the patient if he or she is under the care of another medical practitioner of Homoeopathy.

(3) When a practitioner of Homoeopathy examines a patient, at the request of another practitioner of Homoeopathy, it shall be his or her duty to write a letter, stating his or her opinion of the case with the mode of treatment, he or she thinks is required to be adopted.

**24. Engagement for an Obstetrics case.** - (1) If a practitioner of Homoeopathy is engaged to attend a woman patient during her confinement, he or she shall do so and refusal to do so on an excuse of any other engagement shall be considered unethical, except when he or she is already engaged on a similar or other serious case.

(2) When a practitioner of Homoeopathy who has been engaged to attend on an obstetrics case is absent and another is sent for and delivery is accomplished, then the acting practitioner of Homoeopathy shall be entitled to his professional fees; provided he shall secure the patients consent to withdraw on the arrival of the practitioner of Homoeopathy already engaged.

**25.** When it becomes the duty of a practitioner of Homoeopathy occupying an official position to see and report upon an illness or injury, he or she shall communicate to the practitioner of Homoeopathy in attendance so as to give him an option of being present and the practitioner of Homoeopathy shall avoid remarks upon the diagnosis or the treatment that has been adopted.

#### CHAPTER V

##### *Duties of practitioner of Homoeopathy in Consultation*

**26. Consultation shall be encouraged.** - In cases of serious illness, especially in doubtful or difficult conditions, the practitioner of Homoeopathy shall encourage consultation of experts and he or she shall do so, in perplexing illness, in

therapeutic abortions, in the treatment of a woman who had procured criminal abortion, in suspected cases of poisoning, or when desired by the patient or his or her representative.

**27. Patient referred to another medical practitioner of Homoeopathy.** - When a patient is referred to another practitioner of Homoeopathy by the attending practitioner of Homoeopathy, a statement of the case shall be given to the later practitioner of Homoeopathy and the later practitioner of Homoeopathy shall communicate his opinion in writing, in a closed cover, directly to the attending practitioner of Homoeopathy.

**28. Consultation by telemedicine.** - The Consultation through telemedicine by the registered Practitioners of Homoeopathic shall be permissible in accordance with the Telemedicine Practice Guidelines issued from time to time by the Central or State Government and other Government authorities and may use its Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platforms or solutions or modules as maintained by the National Health Authority from time to time.

**29. Conduct in consultation.** - (1) In consultations, there shall be no place for insincerity, rivalry or envy among the and all due respect shall be shown to the practitioner of Homoeopathy in charge of case and no statement or remarks shall be made which shall impair the confidence reposed in him or her by the patient and for this purpose no discussion shall be carried out in the presence of the patient or his or her representatives.

(2) All statements of the case to the patient or his or her representatives, shall take place in the presence of all other practitioners consulting, except as otherwise agreed and the announcement of the opinion to the patient or his or her relatives and friends shall rest with the attending

(3) Difference of opinion shall not be divulged unnecessarily; provided when there is an irreconcilable difference of opinion, the circumstances shall be frankly and impartially explained to the patient or his friends and it shall be open to them to seek further advice if they so desire, in the interest of patient.

**30. Consent to medical treatment:** No consent of patient or relative or guardian is required for consultant or indoor patient department (IPD) treatment or for Diagnostic procedures and in case of emergency conditions, consent of patient or guardian shall be obtained and if a practitioner of Homoeopathy does not do so, he shall be liable to be punished in accordance with the provisions of the Act.

Provided that the treatments for dealing with emergency situations, where there is no time and patient's life is at stake, may be given without obtaining prior consent and the consent shall be deemed to be implied.

**31. Treatment after consultation.** - (1) The attending practitioner of Homoeopathy may decide subsequent variations in the treatment change may be required; provided that he will state the reasons of such variations in next consultations.

(2) The consultant shall have the same privilege, with its obligations, when sent for an emergency during the absence of the attending practitioner of Homoeopathy;

Provided that the attending practitioner of Homoeopathy may prescribe at any time to the patient, as and when the patient consult the practitioners of Homoeopathy.

**32. Consultant not to take charge of the case.** - When a practitioner of Homoeopathy has been called as a consultant in the rarest and most exceptional circumstances, he or she shall justify the consultation taking charge of the case and the consultant shall not do so merely on the solicitation of the patient or his or her friend.

## CHAPTER VI

### *Duties of Practitioners of Homoeopathy to the Public*

**33. Practitioners as citizens.** -A practitioners of Homoeopathy, possessing special training, shall advise concerning the health of the community wherein they dwell and they shall play their part in enforcing the laws of the community and in sustaining the institutions that advance the interest of humanity, cooperate with the authorities in the observance and enforcement of sanitary laws and regulations and shall observe the provisions of all laws relating to Drugs, Poisons and Pharmacy made for the protection and promotion of public health.

**34. Public health.** -(1)A practitioners of Homoeopathy, engaged in public health work, shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the prevention of epidemic and communicable disease and in all times he shall notify the constituted public health authorities of every case of communicable disease under his care, in accordance with the laws, rules and regulations of the health authorities and when an epidemic prevails, the practitioner of Homoeopathy shall continue his labour without regard to the risk of his own health.

**35. Dispensing.** - A practitioner of Homoeopathy has a right to prepare and dispense his own prescription which shall be done as per need and according to the principle of Homoeopathy at the most hygienic way.



## CHAPTER VII

*Misconduct*

**36. Professional or ethical Misconduct.**- The following acts of commission or omission by a practitioner of Homoeopathy shall constitute professional misconduct and shall be liable for disciplinary action, if, he or she : -

- (a) contravenes any of the provisions of these regulations;
- (b) fails to display the registration number accorded to him or her by the Commission or State Medical Council for Homoeopathy, in his or her clinic;
- (c) fails to maintain the records of prescription and certificates issued by him or her;
- (d) commits the offence of adultery or misbehaves with a patient, or maintain improper association with a patient;
- (e) convicted by a court of law for offences involving moral turpitude;
- (f) signs or gives under his or her name and authority any certificate, report or document of kindred character which is untrue, misleading and improper;
- (g) contravenes the provisions of law relating to the Drugs and Cosmetics Act, 1940(23 of 1940) and the rules made thereunder;
- (h) sells a drug or poison prohibited by the Drugs and Cosmetics Act,1940(23 of 1940) and the rules made thereunder;
- (i) performs or encourages un-qualified person to perform abortion or any major surgical operation;
- (j) issues certificate of experience in Homoeopathy to unqualified or non-medical persons:  
Provided that nothing contained in this clause shall prevent or restrict the proper training and instruction of legitimate employees of doctors, midwives, dispensers, attendants or skilled mechanical and technical assistants under the personal supervision of practitioner of Homoeopathy;
- (k) affixes a signboard in the shop of a chemist or in a place where he or she does not reside or work;
- (l) discloses the secrets or confidential information of a patient without his or her consent that have been learnt in the exercise of profession, except in a court of law under order of the presiding judge;
- (m) contravenes the guidelines issued by the Commission or concerned State Medical Council for Homoeopathy:  
Provided that nothing contained in this clause shall apply even if he or she conducts the Clinical drug trials or other research involving patients or volunteers as per the guidelines of the Central Government or State Government authorities;
- (n) publishes photographs or case-reports of patient with identity in any medical or other journal without written consent of the patient, can publish only case reports without any disclosure of identity of patient.
- (o) exhibits in public the scale of fees:  
Provided that nothing contained in this clause shall apply even if he or she displays the same in the physician's consulting or waiting room;
- (p) uses touts or agents for procuring patients;
- (q) claims to be a specialist without possessing a special qualification listed by the Commission in the branch concerned;
- (r) advertises or notifies the name of the institution or clinic in which no facility is offered or names of the diseases not treated;
- (s) publishes the names or photographs of doctor running or attending the clinic or institution in the advertisement;
- (t) refuses to treat the patients on the grounds of religion or caste;
- (u) issues any certificate referred to in Appendix- II to these regulations, which is found false, untrue, misleading or improper, his or her name shall be removed from the Register of Homoeopathic Practitioners, both from State and National Register;
- (v) Commits any other conduct which is found misconduct by the State Medical Council for Homoeopathy or by Board of Ethics and Regulation for Homoeopathy of National Commission for Homoeopathy;
- (w) is convicted for offences arising from drunkenness or abuse of alcohol which is likely to be regarded as professional misconduct;

- (x) treats the patients or perform other professional duties while being rendered unfit to perform such duties by the influence of alcohol or drugs;
- (y) practices, any other system of medicine other than Homoeopathy:

Provided that nothing contained in this clause shall prevent or restrict to practice by medical practitioner of Homoeopathic under the National Health Programme and others programme run by Central or State Government after undergone any training or course recognized or prescribed by the competent authority.

Provided further that the instances of professional misconduct mentioned under this regulation shall not constitute a complete list for disciplinary action and the State Medical Councils for Homoeopathy are in no way precluded from considering and dealing with any other form of professional misconduct on the part of a registered practitioner of Homoeopathy.

**37. Pharmacovigilance.**—The practitioner of Homoeopathy shall report to appropriate authorities, for any adverse events attributed to any Homoeopathic Medicinal product, if observed by him while treating patient.

**38. The practitioner of Homoeopathy shall follow the following guidelines on proper prescription and dispensing, namely:-**

- (a) shall be familiar with updated knowledge and guidelines on the use of Homoeopathic medicines;
- (b) shall prescribe drugs only in the dose and for the duration as necessary for the clinical condition being treated;
- (c) shall prescribe drugs after proper clinical assessment and diagnosis;
- (d) shall maintain patients record as per Good Clinical Practice guidelines for Homoeopathic practitioners published by the Central Council for Research in Homoeopathy, under the Ministry of Ayush, Government of India.

**39. The Manner taking disciplinary action and the procedure for receiving complaints –**

(1) Where a practitioner of Homoeopathy commits any act of Professional or Ethical misconduct, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall take action suo-moto or on receipt of the written complaint as per the form given at Appendix-IV with relevant supporting documents and identity proof within a period of six months from the date of filing complaint.

(2) After receiving of the complaint, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall examine the matter and after making enquiry shall decide the matter within the period of three months from the date of filing such complaints.

Provided that before deciding the complaint the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall give an opportunity of being heard to the practitioner of Homoeopathy.

(3) If after enquiry, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy found the practitioner of Homoeopathy guilty for professional or Ethical misconduct, it shall take action against such practitioner of Homoeopathy in accordance with the provisions of the Act or the respective State Act, as the case may be.

Dr. PINAKIN N. TRIVEDI, President, Board of Ethics & Registration for Homoeopathy

[ADVT.-III/4/Exty./474/2022-23]

#### APPENDIX-I

[See regulation 3]

#### DECLARATION AND OATH

- (1) I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.
- (2) Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.
- (3) I will maintain the utmost respect for human life.
- (4) I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or social standing to intervene between my duty and my patient.
- (5) I will practice my profession with conscience and dignity in accordance with the principles of Homoeopathy.
- (6) The health of my patient shall be my first consideration.
- (7) I will respect the secrets which are confided to me, during homoeopathic consultation.
- (8) I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
- (9) I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession

(10) I will treat my colleagues with respect and dignity

(11) I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

(12) I shall abide by the Code of Ethics, Rules and Regulation for Homoeopathic practice as amended time to time.

#### **Hahnemannian Oath**

"On my honour, I swear that, I shall practice the teachings of Homoeopathy, perform my duty as expected from me, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment. May the teachings of Master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission with the aim to cure the sick."

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Registrar, State Medical Council for Homoeopathy.

#### **APPENDIX -II**

*[See regulation 36(u)]*

#### **List of Certificates to be issued by Homoeopathic Doctors for the purpose of Various Acts or Administrative Requirements.**

1. Certificate of birth or death or disposal of the dead under various Central Acts or State Acts;
2. Certificate of lunacy and mental illness under the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).
3. Certificate under the Education Acts.
4. Certificate under the Public Health Acts and the orders made thereunder.
5. Certificate under the Acts and orders relating to the notification of infectious diseases.
6. Certificate under the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).
7. Certificate in connection with insurance benefits.
8. Certificate for procuring or issuing of passport or driving license.
9. Certificate of illness for seeking exemption from attending Court of Justice / Government offices or in private employment.
10. Certificate in connection with Pension matters.

#### **APPENDIX-III (a)**

(See regulation 7)

#### **MEDICAL CERTIFICATE**

I, Dr. .... after careful personal examination of the case, hereby certify that Sh. /Smt. /Km. .... whose signature is given below, is suffering from ..... and I consider that a period of ..... days with effect from ..... is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Signature of the Patient .....

Date:-

.....  
Signature of Authorized Medical Attendant

With Regn. No. and stamp / seal

#### **APPENDIX-III (b)**

#### **FITNESS CERTIFICATE**

I, Dr. .... after careful examination of the case, here by certify that Smt./Sri/Ms.....on restoration of health is now fit to join duty.

Signature of the Patient .....

Date:-

.....  
Signature of Authorized Medical Attendant

With Regn. No. and stamp / seal

**APPENDIX-IV**

## Prescribed Form for Complaint

(See Regulation 39)

1. Detail of the Complainant:
  - (a) Name :
  - (b) Address:
  - (c) Qualification:
  - (d) Phone Number:
  - (e) Email ID:
  - (f) Identity card details :
2. Detail of the Medical Practitioner of Homoeopathy against which complaint is being lodging :
  - (a) Name :
  - (b) Address: (i) present :
    - (ii) Permanent:
  - (c) Qualification:
  - (d) Phone Number, if any:
  - (e) Email ID, if any:
  - (f) details of the State Medical Council where aforesaid medical practitioner of Homoeopathy Registered:
  - (g) State Registration Number \_\_\_\_\_
  - (h) Enrollment No in National Register For Homoeopathy (NRH) or CRH ...
3. Date and year of alleged misconduct:
4. Whether the Complainant has approached any other Forum or remedy Exercised?
5. Whether any court proceedings are adopted or pending connected with the alleged misconduct?
6. Documents if any relied upon by the Complainant (annex -copies):
7. Whether the applicant has any witness in support of his allegations? If so, give their names and address? :
8. Brief Facts with regard to alleged misconduct. :
9. Explanation for delay I filling Complainant, if any. :
10. Any other relevant information with regard to the alleged misconduct.

Place

Name :

Signature:

Enclosure:

- (a) .
- (b) .
- (c)